न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़िया **R.A.S.**

GCMS प्रकरण संख्या :– 2022/195

प्रकरण संख्या :– 125/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

श्री कान सिंह बनाम राज्य सरकार

–::निर्णय::–

दिनांक :13.08.2022

1. प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम कान सिंह पिता स्व. पदम सिंह सारंगदेवोत दर्ज है जबकि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम करणसिंह पिता पदमसिंह दर्ज है जिसे दुरस्त किये जाने का निवेदन किया।
2. प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जांच कर बाद जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट इस प्रकार है कि आवेदक श्री कानसिंह पिता स्व. पदमसिंह नि. गोपालपुरा द्वारा खाता सं. 90, खाता सं. 47, खाता सं. 3 खाता सं. 39, खाता सं. 40, खाता सं. 41, खाता सं. 46 में दर्ज करणसिंह पिता पदमसिंह के बजाए कानसिंह पिता पदमसिंह किए जाने हेतु निवेदन किया है।
3. पटवारी हल्का के मौका पर्चा अनुसार राजस्व रेकर्ड में करणसिंह पिता पदमसिंह दर्ज रेकर्ड है जबकि मौतबिरान अनुसार करणसिंह एवं कानसिंह पिता पदमसिंह एक ही व्यक्ति के नाम है तथा नाम संशोधन किये जाने पर कोई आपति नहीं जताई।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुना। बहस में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थना पत्र. स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया। दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रकरण में ... कथनानुसार प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम ... जबकि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम करणसिंह पिता पदमसिंह दर्ज ... दुरस्त किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में कानसिंह व करणसिंह पिता पदमसिंह एक ही व्यक्ति के नाम होना बताया व करणसिंह पिता पदमसिंह नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं होना बताया तथा नाम संशोधन किये जाने पर कोई आपति नहीं जताई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:56:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

5. प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कार्यालय ग्राम पंचायत चारगदिया के प्रमाण पत्र दिनांक 20.05.2022 का प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थी का वास्तविक नाम कानसिंह होना बताया करणसिंह नहीं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली बिल , बैंक पासबुक की प्रति पेश की जिसमें प्रार्थी का नाम कानसिंह पिता पदमसिंह है। प्रार्थी द्वारा सहखातेदारों का सहमति पत्र व स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया।

6. अतः उपरोक्त विवेचन एवं बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर यह पाया गया कि प्रार्थी कानसिंह पिता पदमसिंह व करणसिंह पिता पदमसिंह एक ही व्यक्ति के नाम है प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम कानसिंह है जबकि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम करणसिंह दर्ज है जिसे सुधारा जाना आवश्यक है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—::आदेश::—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर मौजा गोपालपुरा पटवार हल्का चारगदिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भीण्डर तहसील भीण्डर की खाता संख्या नया 90 आराजी नम्बर 141, 217/172, 218/171 किता 3 रकबा 0.2500 हैक्टर, खाता संख्या नया 47 आराजी नम्बर 39 कुडावाला, 9 कोदरानाडा किता 2 रकबा 1.3600 हैक्टर, खाता संख्या नया 3 आराजी नम्बर 153 किता 1 रकबा 0.2700 हैक्टर , खाता संख्या नया 39 आराजी नम्बर 82 कुआ किता 1 रकबा 0.0900 हैक्टर, खाता संख्या नया 40 आराजी नम्बर 106 कुआ किता 1 रकबा 0.0300 हैक्टर, खाता संख्या नया 41 आराजी नम्बर 105पडत, 138बावडी, 156कुआ, 176, 43रास्ता, 94 किता 6 रकबा 0.6900, खाता संख्या नया 46 आराजी नम्बर 15कुडावाला, 16कुडावाला, 183, 23कुडावाला, 24कुडावाला, 29कुडावाला, 6[illegible] [illegible]कुआवाला, 69टुकडी, 73आम्बावाला किता 11 रकबा 1.0300 हैक्टर में प्रार्थी का नाम करणसिंह पिता पदमसिंह के बजाए कानसिंह पिता पदमसिंह संशोधित किए जाने के आदेश दिए जाते है शेष खातेदार के नाम बददस्तुर रहें। सूचना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:56:27 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 13.08.2020 को खुल ईजलास सुनाया गया।

Scanned by CamScanner